रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 129] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 1997/चैत्र 8, 1919
No. 129] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 1997/CHAITRA 8, 1919

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1997

सा. का. नि. 175 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 163"

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1997

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1997 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 1996 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित को राजस्व सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

(क) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में इसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के लिए :—

सारणी

राज्य	(रुपए लाखों में)
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	8775
अरुणाचल प्रदेश	113
असम	3334
बिहार	12680

(1)	(2)
गोवा	148
गुजरात	4800
हरियाणा	2066
हिमाचल प्रदेश	805
जम्मू-कश्मीर	940
कर्नाटक	5544
केरल	4470
मध्य प्रदेश	8717
महाराष्ट्र	8675
मणिपुर	233
मेघालय	216
मिजोरम	74
नागालैंड	116
उड़ीसा	5025
पंजाब	2584
राजस्थान	5305
सिक्किम	48
तमिलनाडु	7183
त्रिपुरा	348
उत्तर प्रदेश	18988
पश्चिमी बंगाल	8336

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएगी और यह राशि राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी।

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशि को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय X में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उस सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग की बाबत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार व्यय की जाएगी।

(ख) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां निम्नलिखित हैं :—

सारणी

राज्य	रुपए लाखों में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	1848
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	355
बिहार	1677
गुजरात	1687
हरियाणा	415
हिमाचल प्रदेश	51
जम्मू-कश्मीर	302
कर्नाटक	1754
केरल	636
मध्य प्रदेश	1544
महाराष्ट्र	3324
मणिपुर	56

(1)	(2)
मेघालय	37
मिजोरम	9
नागालैंड	14
उड़ीसा	478
पंजाब	765
राजस्थान	1080
सिक्किम	14
तमिलनाडु	2088
त्रिपुरा	26
उत्तर प्रदेश	3029
पश्चिमी बंगाल	3008

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी।

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय X में अंतर्विष्ट सिफारिशों और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उस सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग की बाबत जारी किए गए मार्गदर्शीय सिद्धान्तों के अनुसार व्यय की जाएगी ।

(2) उप पैरा (1) के अधीन संदेय राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

शंकर दयाल शर्मा,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(1)/97 वि.-I]
के. एल. मोहनपुरिया, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1997

G.S.R. 175 (E).—The following Order made by the President is published for general information :—

'C.O. 163'

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1997

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1997.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1996, as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the State specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	8775
Arunachal Pradesh	113
Assam	3334
Bihar	12680
Goa	148
Gujarat	4800
Haryana	2066
Himachal Pradesh	805
Jammu and Kashmir	940
Karnataka	5544
Kerala	4470
Madhya Pradesh	8717
Maharashtra	8675
Manipur	233
Meghalaya	216
Mizoram	74
Nagaland	116
Orissa	5025
Punjab	2584
Rajasthan	5305
Sikkim	48
Tamil Nadu	7183
Tripura	348
Uttar Pradesh	18988
West Bengal	8336

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Tenth Finance Commission contained in Chapter X of its report and in the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants from that Government to the State Governments in this regard ;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local bodies :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1848
Arunachal Pradesh	3
Assam	355
Bihar	1677
Gujarat	1687
Haryana	415
Himachal Pradesh	51
Jammu and Kashmir	302
Karnataka	1754
Kerala	636

(1)	(2)
Madhya Pradesh	1544
Maharashtra	3324
Manipur	56
Meghalaya	37
Mizoram	9
Nagaland	14
Orissa	478
Punjab	765
Rajasthan	1080
Sikkim	14
Tamil Nadu	2888
Tripura	26
Uttar Pradesh	3029
West Bengal	3008:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by Urban Local Bodies in terms of the recommendations of the Tenth Finance Commission as contained in Chapter X of its report and in the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants from that Government to the State Governments in this regard ;

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

SHANKER DAYAL SHARMA,
President.

[F.No. 19(1)/97-LI]
K.L. MOHANPURIA, Secy.

792 GI/97—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1997